बाल–श्रम : मानवता पर प्रहार

डॉ० गीता यादव,

अध्यक्ष –राजनीति विज्ञान विभाग,
टी0 डी0 पी०जी० कॉलेज,जौनपुर

पूर्व प्रधानमंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू का यह सपना कि मैं हिन्दुस्तान के प्रत्येक बच्चे में भारत की तकदीर देखता हूँ, आज सपना ही बना रह गया है। क्योंकि जो बच्चे राष्ट्र के भावी निर्माता हैं, वे इस तरह से बचपन से कमरतोड़ परिश्रम करते हैं कि आगे आने वाले समय में वे अपना स्वयं का ही बोझ उठाने के काबिल नहीं रह जाते। इसका सीधा सा कारण यह है कि वह बच्चा जो बालपन से ही अपने अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, खेलने– खाने की उम्र में उससे अत्यधिक श्रम लिया जाता है, वो भी सिर्फ इसलिए कि शायद वह एग गरीब माँ के गर्भ से पैदा हुआ है।

बालश्रम की समस्या से सम्पूर्ण विश्व ग्रसित है। दुनिया के प्रत्येक कोने में बालश्रमिक किसी न किसी रूप में कार्य करते हुए आसानी से देखे जा सकते हैं। बालश्रम एक बहुत ही पेंचीदा विषय है। मैले–कुचले चीथड़ों से तन को ढांके ये बालश्रमिक अपने शोषण की कहानी बिना कुछ कहे ही बयां कर जाते हैं। इन्हें अपने भविष्य की चिन्ता नहीं रहती, दो जून का निवाला मिल जाए, यही उनके जीवन का परम् उद्देश्य है। अपने श्रम के फल से अनभिज्ञ ये बच्चे मात्र कुछ सौ रुपये की ही मासिक मजदूरी पर कमरतोड़ मेहनत करते हैं। बालश्रमिक, कालीन उद्योग से लेकर ईंट–भट्ठों, रेस्टोरेंट व पटाखा बनाने वाली फैक्ट्रियों तक में अस्वास्थ्यकर कार्यों को बिना रुके कर रहे हैं। जिन्दगी के गर्म थपेड़ों ने उनकी मासूमियत व अल्हड़ता को जला कर उनकी किस्मत में बेबसी की लकीरें खींच दी है। औद्योगीकरण एवं आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक के कारण नियोक्ता कम खर्च पर यथाशीघ्र अधिकाधिक आय प्राप्त करना चाहता है और बेकारी व गरीबी उन्हें सस्ते बाल–श्रमिक उपलब्ध कराती है।

अन्य विकासशील देशों की तरह भारत में परिवार भत्ता या बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता है। इसी कारण भारतीय अभिभावक अपने बच्चों से श्रम करवाने के सलिए मजबूर होते हैं। भारत में बालश्रम को बढ़ावा देने वाले कई सामाजिक–आर्थिक कारक हैं। गरीबी, बेरोजगारी, कम मजदूरी तथा अशिक्षा जैसे कई ठोस कारक हैं, जिनकी वजह से आज भारत में बाल–श्रमिक मौजूद हैं। घोर दरिद्रता के कारण निर्धन माता–पिता अपने बच्चों को रोजी–रोटी कमाने के लिए भेजते हैं। गरीबी को ही प्रायः कृषि में बाल–श्रम का कारण माना जाता है। इसके अलावा वयस्कों को पर्याप्त मजदूरी न मिलने से भी वे बच्चों को काम पर भेजते हैं।

इस तथ्य से कत्तई इन्कार नहीं किया जा सकता है कि सरकार द्वारा परिवार कल्याण के लिए कई कदम उठाए गये है। पर इसमें गए गरीब तबके के लोग विशेष रुचि नहीं लेते हैं। जिसका परिणाम यह होता है कि इतनी शिक्षा के प्रचार– प्रसार के बावजूद तथा इतनी सुविधाएं मुहैय्या करवाने के बाद भी वे इनसे वंचित है। ज्यादा बच्चे पैदा वे इस सोच के साथ करते हैं कि जितने व्यक्ति, उतनी आमदनी और जब परिवार के सदस्यों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि सभी का पेट भरना मुश्किल हो जाता है।

ऐसी स्थिति में वे अपने घरों के छोटे–छोटे व मासूम बच्चों से श्रम करवाने लगते हैं। परिवार के शराबी–जुआरी मुखिया को यह चिन्ता नहीं रहती कि जो बच्चा पैसा घर पे लेकर आ रहा है, वह वास्तव में कहाँ से आ रहा है और कैसे? यहाँ तक कि न तो उनके व्यक्तित्व के विकास और ना ही उनके शिक्षा–दीक्षा की चिन्ता रहती है, उन्हें सिर्फ पैसे की ही चिन्ता रहती है। एक बार जब बच्चा इस दलदल या भंवर में फंस जाता है तो उसका आजीवन इससे निकलना मुश्किल हो जाता है। अक्सर हमारे सभ्य समाज में हमें यह भी देखने को मिलता है कि कर्ज के भार से दबे माता–पिता कर्ज उतारने के लिए भी बच्चों को होटलों में बर्तन धुलने, नौकर बनने या किसी अन्य कामों में लगा देते हैं।

भारत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति जैसे सामाजिक–आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों में निरक्षरता व्यापक स्तर पर पर व्याप्त है। उनकी दृष्टि में शिक्षा की अपेक्षा अर्थोपार्जन तात्कालिक आवश्यकता है। परिणामतः उनके बच्चे बाल–श्रमिक बनकर शिक्षा से आजीवन वंचित रह जाते है। परिवार का बड़ा होना तथा उसके अनुरूप आय का न होना बाल–श्रम का पहला सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि ऐसी स्थिति में अभिभावकों के लिए बच्चों को समुचित आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल होता है। दूसरा कारण बालश्रमिकों का शोषण वयस्क मजदूरों से कम मजदूरी देकर किया जा सकता है। तीसरे कारण यह कि बालश्रमिकों को यूनियन बनाने का अधिकार न होने के कारण विरोध आन्दोलन या हड़ताल की बिल्कुल समस्या नहीं होती है। इन उद्योगपतियों या भू–स्वामियों द्वारा अपनी दोषी भावनाओं को छिपाने के लिए बच्चों को नौकर रखने की बड़ी दिलचस्प सफाईयां पेश की जाती है। वे कहते हैं कि वे उन्हें अपराध करने से रोकते हैं, भूखों मरने से बचाते हैं, जो नौकरी नहीं होने की दशा में वे करते ही।

वर्ष 1988 में कराये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार 4 से 14 वर्ष के बीच आयु वाले बाल श्रमिकों की संख्या 1.70 करोड़ थी, जो आज बढ़कर 2 करोड़ से भी अधिक हो गयी है। भारत में काम करने वाले अधिकांश (60:) बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में 23: व्यापार व व्यवसाय में तथा 36: होटलों में लगे हुए हैं। भारत में सर्वाधिक मजदूर कृषि श्रमिक या ईंट भट्ठों पर बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। भारत में अनेक ऐसे क्षेत्र हैं, जो बाल मजदूरों के अथक परिश्रम और भयावह शोषण की वैशाखी पर फल–फूल रहे हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 25.2 करोड़ बच्चों की संख्या में से 1.25 करोड़ बच्चे 5–14 वर्ष के बीच के हैं, जो काम में लगे हुए हैं, जिनमें से ही 1.07 करोड़ बच्चे 10–14 वर्ष की आयु के समूह के हैं। भारत में बाल–श्रमिकों की संख्या के बारे में विभिन्न संगठनों द्वारा लगाये गये अनुमान भिन्न–भिन्न तस्वीर पेश करते हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 32वें दौर के अनुसार भारत में बाल मजदूरों की अनुमानित संख्या 1.74 करोड़ थी। आपरेशन रिसर्च ग्रुप ने 1994 में भारत में कामकाजी बच्चों की संख्या 4.40 करोड़ होने का अनुमान लगाया था। सेंटर फार कन्सर्न ऑफ चाइल्ड लेबर के अनुसार हमारे देश में लगभग 10 करोड़ बाल श्रमिक है। विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से यह संख्या सही जान पड़ती है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम–संगठन के अनुसार जहां भारत में 25 करोड़ बाल–श्रमिक है। वही विश्व बैंक की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल–श्रमिकों की संख्या 10–14 करोड़ के बीच हैं। बडे दुख की बात तो यह है कि ये बाल मजदूर अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने को बेबस है पर जब बात इनकी सुविधाओं, जरूरतों और मजदूरी की आती है तो, तब इन्हें बच्चा कह कर उन्हें फटकार लगा दी जाती है या दुत्कारते हुए कम मजदूरी दे दी जाती है ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति किसी भिखारी के सामने रोटी का सूखा टुकड़ा फेंक रहा है। इसका उदाहरण

हम आये दिन अपने आसपास के नगरों में स्थित छोटे–छोटे होटलों, ढाबों और चाय की दुकानों में मैले–कुचैले, फटे–पुराने कपड़े पहने छोटे–छोटे मासूम बच्चों को कप प्लेट या जूठे बर्तन धुलते, मार व गालियाँ खाते देख सकते है जो अपने आंसुओं को अपने भीतर समेटते रहते है।

उक्त बाल श्रमिकों की समस्याओं के अध्ययन हेतु 1979 में गुरूपद–स्वामी समिति गठित की गयी। बाल श्रम प्रथा के उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रयास एक विस्तृत अधिनियम बनाकर किया गया, जिसे बाल–श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम, 1986 कहा जाता है इस अधिनियम के माध्यम से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को 18 हानिकारक उद्योगों, जैसे– कालीन बुनाई, बीड़ी बनाने, सीमेंट उत्पादन, भवन निर्माण, माइका कटिंग, कपड़ों की बुनाई और रंगाई, माचिस और विस्फोटक सामग्री, साबुन निर्माण और पत्थर काटने आदि में कार्य करने पर रोक लगायी गयी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रमिक वर्ग का 20 प्रतिशत योगदान है, जिसमें 7 प्रतिशत का योगदान इन बाल श्रमिकों का है। सर्वाधिक बाल श्रमिक सूचना तकनीक के अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश में है तो दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। उपर्युक्त रूकावटों के बावजूद भी आज शिवकाशी (तमिलनाडु) के आतिशबाजी व माचिस उद्योग, लखनऊ के चिकन व सिलाई–कढ़ाई उद्योग, केरल, तमिलनाडु व मध्य प्रदेश के बीड़ी उद्योग, फिरोजाबाद के काँच उद्योग, पश्चिम बंगाल के हथकरघा उद्योग तथा जम्मू–कश्मीर और उत्तर–प्रदेश के मिर्जापुर और भदोही के कालीन उद्योगों में बड़ी संख्या में बाल मजदूर लगे हुए है जिनके सस्ते श्रम पर इन उद्योगों का अस्तित्व निर्भर करता है। वहीं इन उद्योगों में बाल श्रमिकों की समुचित सुरक्षा व्यवस्था का सर्वथा अभाव होता है।

वे बच्चे जिनकी उपमा खूबसूरत फूलों से की जाती है। अक्सर वहाँ देखे जाते हैं, जहाँ हानिकर प्रदूषित कारखाने होते हैं जिनकी ईट की दिवारों पर कालिख जमी होती है और जिनकी हवा में विषाक्त बू होती है। वे ऐसे भट्ठियों के पास काम करते हुए तपते रहते है जो 1400 ^{0} के तापमान पर जलती है। लवे असीमित पोटेशियम जैस खतरनाक रसायनों को काम में लेते है जहां इस काम से उनके फेफड़ों पर जोर पड़ता है। भारतीय बाल–कल्याण परिषद के अनुसार इन बाल श्रमिकों को 10 से 15 घंटों तक दमघोंटू– कारखानों, दुकानों या अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में काम करना पड़ता है और उसके बदले उन्हें अल्प मजदूरी प्रदान की जाती है इन मासूमों को खेलने–खाने की उम्र में आजीविका के लिए निरन्तर संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया जाता है। बिना आराम के व भय के साथ लगातार कार्य करते रहने के कारण जवानी आते–आते ही कई ऐसे असाध्य रोगों के शिकार हो जाते है जिनका इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं होते और ना ही इनके मालिक इसमें कोई दिलचस्पी दिखाते है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हम उत्तर–प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के प्रसिद्ध काँच उद्योग में देख सकते है जहाँ हजार कई हजार श्रमिकों को नरकीय जीवन बिताना पड़ रहा है। भीषण गर्मी के दिनों में 1000^{वह} से भी अधिक ताप वाली भट्टियों के निकट काम करना पड़ता है। इतने अधिक ताप में कार्य करते रहने के कारण बाल–श्रम रोग के सर्वाधिक मामले फिरोजाबाद में ही मिलते है। इन्हीं सब कारणों से यहां बाल मृत्यु दर भी अधिक है। एक अन्य सर्वेक्षण के मुताबिक 50 लाख बाल–श्रमिक ईट भट्टों पर काम करते है जिनमें से अधिकांश को काम के बदले कुछ भी मेहनताना नहीं दिया जाता है।

वास्तव में बाल–श्रम अपने आप में कोई बुराई नहीं है लेकिन मासूमों का जिस प्रकार शोषण किया जाता है, उनका बचपन छीना जाता है, वह अपने आप में बुराई है। यदि हम किसी का बचपन लौटा नहीं सकते तो हमें केवल इस

आधार पर किसी का बचपन छीनने का कोई अधिकार नहीं है कि वह बेबस व लाचार है। बाल श्रमिकों की बेहतरी के लिए कई देशों में कानून जरूर बनाए गये है लेकिन उनको ठीक ढंग से अभी भी लागू नहीं किया गया है। काम के घंटे, साप्ताहिक छुट्टी जैसी तमाम बातों का इन नियमों कानूनों से दूर–दूर तक कोई वास्ता नहीं है। घरेलू नौकरों पर जुल्म को तो एक तरह से सामाजिक स्वीकृति तथा सहमति हासिल है ऐसा प्रतीत होता है कि समाज और मानवता के सरोकार कहीं दूर छिटक गये है बाल श्रमिक मानवीय यातना की कड़ी बन गये है अफसोस की बात यह है कि इनकी शिनाख्त तो है परन्तु परिचय नहीं।

वर्तमान में इस बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए न सिर्फ सरकार को बल्कि आमजन को दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देना होगा। सरकार यदि बच्चों के माता–पिता को रोजगार मुहैया कराये जिससे वे अपने बच्चों का भरण–पोषण ठीक से कर सके तो इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। सामाजिक संस्थाओं को इस कार्य में बढ़–चढ़कर भाग लेना चाहिए, वे अभिभावकों को जागरूक बनाये तथा उन्हें यह विदित कराये कि बाल श्रम देश की कितनी बड़ी समस्या है एवं इससे उनके बच्चों का भविष्य कितना अंधकारपूर्ण होता जा रहा है। सरकार को कुटीर तथा लघु उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए ग्रामीण जनता को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे बच्चों के माता–पिता आत्मनिर्भर बन सकें तथा ऐसी नौबत ही न आये कि उन्हें अपने बच्चों से मजदूरी करवानी पड़े। साथ ही बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की योजना सरकार ने कागजों पर लागू तो की है पर इसका सही क्रियान्वयन नहीं हो रहा है जिन बाल–श्रमिकों की जिन्दगी के गर्म थपेड़ों ने उनकी मासूमियत व अल्हड़ता को जला कर उनकी किस्मत में बेबसी की लकीरें खीच दी है उसे हमें ही खत्म करना होगा। बाल श्रमिक हमारे समाज की त्रासदी को भोगता खामोश एक घटक है जो एक प्रकार का ठंडा वजूद लिए सिमट कर रह गया है।

1987 में 'राष्ट्रीय बाल–श्रम नीति' की घोषणा की गयी और इसके क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाये गये 1 सितम्बर 1990 में 'राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान' के श्रम–मंत्रालय और यूनिसेफ के सहयोग से बाल–श्रमिकों के सम्बन्ध में अध्ययन करने, शिक्षण और प्रशिक्षण शोध परियोजनाएं आदि चलाने हेतु 'बाल–श्रमिक सेल' की स्थापना की गयी ताकि उन्हें यथा–समय मुक्त कराकर उनके अधिकार दिये जा सकें। बच्चों के सामाजिक महत्व को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने वर्ष 1979 को अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया। 8–10 मई, 2002 की अवधि में भी बच्चों के विकास सम्बन्धी मामलों पर विचार करने तथा उपयुक्त रणनीति निर्धारित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महासभा की विशेष बैठक बुलाई गयी। जिसमें बच्चों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु शिक्षा को बच्चों के मौलिक अधिकारों में शामिल करने सम्बन्धी 93 वां संविधान संशोधन पास किया गया, जिसमें 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिये जाने की बात कही गयी है। इसके अलावा अभिभावकों का यह मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वे अपने बच्चों को शिक्षा अवश्य दिलायेंगे। संविधान के अनुच्छेद 15 (3) द्वारा सरकार को बालकों के लिए अलग से कानून बनाने का अधिकार दिया गया हैं। अनुच्छेद 23 बालकों के क्रय–विक्रय एवं उनके द्वारा गैर–कानूनी तथा अनैतिक कार्य करने पर रोक लगाता है, साथ ही बालकों को भय दिखाकर या बिना पारिश्रमिक काम कराने को भी प्रतिबन्धित करता है। संविधान का अनुच्छेद–24, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों तथा अन्य जगहों पर नियोजित करने पर

रोक लगाता है। संविधान की धारा–24 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में नियोजित नहीं किया जायेगा। संविधान की धारा–39 में बच्चों को दमन एवं शोषण के विरूद्ध संरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 39 (ई) में सरकार को बच्चों के बचपन की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने एवं उन्हें शोषण मुक्त करने हेतु सरकार ने 1949 में विभिन्न राजकीय विभागों एवं अन्य क्षेत्रों में श्रमिकों के नियोजन हेतु न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की। सरकार का मानना है कि बालश्रम को बिल्कुल समाप्त करना आसान नहीं है इसीलिए उसने उनकी काम करने की स्थितियों को सुधारने का प्रयास किया है अर्थात् काम के घंटों को कम करना, न्यूनतम मजदूरी तय करना तथा शिक्षा को सुनिश्चित करना। यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय नीति के ये तीन प्रमुख कार्य है। बाल–श्रम से सम्बन्धित कानूनों को आम जनता के बीच भी प्रसारित तथा प्रचारित करना होगा ताकि वह अपने अधिकारों को जान सके और मांग सके। इस दिशा में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 10 दिसम्बर 1996 को दिया गया फैसला मील का पत्थर साबित होगा। यदि ईमानदारी तथा दृढ़तापूर्वक उसका क्रियान्वयन किया गया तो ऐसा होने पर बालकों को असमय में श्रमिक बनने से रोका जा सकता है।

सरकार को कुटीर तथा लघु उद्योगों को आगे बढाने के लिए ग्रामीण जनता को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे बच्चों के माता–पिता आत्मनिर्भर बन सके तथा ऐसी नौबत ही न आये कि उन्हें अपने बच्चों से मजदूरी करवानी पड़े। साथ ही बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की योजना सरकार ने कागजों पर लागू तो की है पर अभी भी ये हकीकत से काफी दूर है। बालश्रम का मसला विश्व के एजेंडे में सबसे ऊपर होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है। सत्य तो यह है कि बालश्रमिक मानवीय शोषण का सबसे घिनौना और विभत्स रूप है। बाल श्रमिकों की समस्या को सुलझाने या इसके निराकरण के लिए सबसे पहले दरिद्रता को कम करना या समाप्त करना आवश्यक है क्योंकि जब निम्न वर्ग के लोगों को भरपेंट भोजन मिलेगा तभी वे अपने बच्चों को काम पर नहीं भेंजेंगे।

गरीबी कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसको क्षण भर में ही हल कर दिया जाय। गरीबी समाप्त करने के लिए एक सुनियोजित रणनीति अपनानी होगी। इसके लिए समुचित शिक्षा की व्यवस्था करके कमजोर वर्ग के लोगों का सामाजिक स्तर ऊँचा उठाने का प्रयास करना होगा। सामाजिक स्तर ऊँचा होने पर उनका आर्थिक स्तर भी ऊँचा होगा। ऐसा होने पर मासूम बच्चों को फूल बनाकर खिलने का पूरा अवसर मिलेगा। दूसरी ओंर श्रम कानूनों को सभी क्षेत्रों चाहे वह संगठित हो या असंगठित दोनों क्षेत्रों में दृढ़ता से लागू करना होगा। कानून का पालन क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का एक ही तरीका है कि इसके उल्लंघन की सजा को और अधिक कठोर बनाया जाय। जिससे कि उनको एक अच्छा नागरिक बनाया जा सकें। विद्वान न्यायाधीशों का कहना है कि जब तक दरिद्रता समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक बालश्रम के उन्मूलन की बात सोचना दूर की कौड़ी ही साबित होगी।

सन्दर्भ सूची

- बालश्रम एक अपराध– 1.12–1.15 (मंजूषा)
- योगेश चन्द्र जैन– पृ0– 110–111
- गुप्ता प्रो0 एम0एल0 एवं शर्मा, डॉ0 डी0 डी0 (2006) : अपराध एवं समाज साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।
- कपूर डॉ0 बी0 एस0 (1981) : अपराधशास्त्र, अपराधी व्यवहार व

अपराधी सुधार, मानवता प्रकाशन वाराणसी, नई दिल्ली।

❖ परांजय ना0 वि0 (2006) : अपराधशास्त्र एवं दण्ड प्रशासन, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स इलाहाबाद चतुर्थ संस्करण।

❖ कुमारी मंजू, बाल अपराध प्रिन्टवेल, प्रथम संस्करण 1994, जयपुर

Copyright © 2015, Dr. Geeta Yadav. This is an open access refereed article distributed under the creative common attribution license which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.